प्राक्कथन

31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अधीन राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन का भाग 'क' वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धित कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, वाहनों पर कर एवं शुल्क, राज्य आबकारी एवं अन्य कर भिन्न प्राप्तियों के लेखा परीक्षा परिणाम को दर्शाता है।

प्रतिवेदन का भाग 'ख' में छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) के लेखापरीक्षा प्रेक्षण उल्लेखित किया गया है, जिसमें कैम्पा की प्राप्तियाँ, वन भूमि का व्यपवर्तन एवं राज्य कैम्पा से हुए व्यय के लेखापरीक्षा परिणम को दर्शाया है। हमने वन विभाग के अनियमित, अपरिहार्य एवं निष्फल व्यय को भी वर्णित किया है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण उन प्रकरणों में से है जो वर्ष 2012-13 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था।